

नियम 8-क का उप-नियम (4)  
कार्यालय जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी  
जयपुर, राजस्थान

दिनांक: 6/10/12

संख्या: JPR/EAST/RT/E 0183

अध्यक्ष/प्रबन्धक,  
प्रबन्ध समिति,

आदर्श शिक्षा परिषद समिति  
जयपुर

विषय:- नियम 8-क के उप-नियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके आवेदन दिनांक 01.04.12 और इस संबंध में विद्यालय के साथ किये गये पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार/निरीक्षण के संदर्भ में, मैं (विद्यालय का नाम और पता) उ.स.प्रा.प्र.विद्या.मन्दिर, जयपुर को 01.04.12 से 31.3.15 तक तीन वर्ष की कालावधि के लिए कक्षा-01 से 08 तक के लिए अंतरिम मान्यता मंजूर करता हूँ।

उक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अधीन होगी:-

1. मान्यता के लिए मंजूरी विस्तारणीय नहीं होगी और किसी भी तरह कक्षा-01 से आगे मान्यता/सम्बद्धता की कोई बाध्यता अन्तर्निहित नहीं होगी।
2. विद्यालय/सम्बद्धता की कोई बाध्यता अन्तर्निहित नहीं होगी।
3. विद्यालय, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का केंद्रीय अधिनियम सं. 35) और राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबन्धों का पालन करेगा।
4. विद्यालय, कक्षा-1 में या, यथास्थिति, पूर्व विद्यालय कक्षा में 2009 के अधिनियम के अनुसार उस कक्षा की छात्र संख्या की सीमा तक आंस पड़ौस के कमजोर वर्ग और अभाव ग्रस्त समूह से संबंधित बालकों को प्रवेश देगा और उसकी समाप्ति तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करायेगा।
5. पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालयों को राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबन्धों के अनुसरण में प्रतिपूर्ति की जाएगी। ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
6. सोसाइटी/विद्यालय कोई प्रतिव्यक्ति फीस संग्रहित नहीं करेगा और बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी छंटाई प्रक्रिया का पात्र नहीं बनायेगा।
7. विद्यालय आयु के सबूत के अभाव में किसी बालक के प्रवेश से इंकार नहीं करेगा और 2009 के अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि-

प्रधानाध्यापक  
उच्च प्राथमिक आदर्श विद्या मन्दिर  
जयपुर-302004

प्रधानाध्यापक  
उच्च प्राथमिक आदर्श विद्या मन्दिर  
जयपुर-302004

सचिव  
उच्च प्राथमिक आदर्श विद्या मन्दिर  
जयपुर-302004

सचिव  
प्रबन्ध समिति आदर्श विद्या मन्दिर  
आदर्श नगर, जयपुर

सचिव  
प्र. स. आदर्श विद्या मन्दिर  
आदर्श नगर, जयपुर

प्रधानाध्यापक

सचिव  
उच्च प्राथमिक आदर्श विद्या मन्दिर  
जयपुर


सचिव  
प्रबन्ध समिति आदर्श विद्या मन्दिर  
आदर्श नगर, जयपुर


सचिव


विद्यालय में प्रविष्ट किसी बालक को विद्यालय में उसकी प्रारम्भिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी कक्षा में रोका या विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा;


- (ii) कोई बालक शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न का पात्र नहीं होगा;
  - (iii) किसी बालक से उसकी प्रारम्भिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित नहीं होगा;
  - (iv) प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 23 के अधीन यथा-अधिकथित प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा;
  - (v) 2009 के अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नियोग्यता/विशेष आवश्यकता के विद्यार्थियों को सम्मिलित किया जाये;
  - (vi) अध्यापक, 2009 के अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) के अधीन अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं सहित भर्ती किये जाएँ; परन्तु वर्तमान अध्यापक, जो 2009 के अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएँ नहीं रखते हैं, वे 2009 के अधिनियम की धारा 23 के परन्तुक के उपबंधों के अनुसार, 5 वर्ष की कालावधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएँ अर्जित करेंगे;
  - (vii) अध्यापक 2009 के अधिनियम की धारा 24 की उप-धारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट उनके कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं; और
  - (viii) अध्यापक स्वयं को निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नहीं लगाएँगे।
7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यक्रम के आधार पर पाठ्यविवरण का अनुसरण करेंगे।
8. विद्यालय 2009 के अधिनियम की धारा 19 में यथा-विनिर्दिष्ट मान और मानकों का अनुसरण करेंगे। अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई सुझावों निम्नानुसार हैं।
- विद्यालय परिसर का क्षेत्र
  - कुल निर्मित क्षेत्र
  - खेल-कूद के मैदान का क्षेत्र
  - कक्षा के कमरों की संख्या
  - प्रधानाध्यापक एवं कार्यालय एवं भंडार कक्ष
  - लड़के और लड़कियों के लिए पृथक-पृथक शौचालय
  - पीने के पानी की सुविधा
  - मिड डी मील पकाने के लिए रसोई
  - अवरोध मुक्त पहुँच
  - अध्यापन विज्ञता सामग्री/खेल-कूद उपस्कर/पुस्तकालय की उपलब्धता।
9. विद्यालय परिसर के भीतर और बाहर उसी नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएँ नहीं चलाई जाएंगी।
10. विद्यालय भवन या अन्य संरचनाएँ या मैदान केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए उपयोग में लिये जायेंगे।


प्रधानाध्यापक  
उच्च प्रारम्भिक आदर्श विद्या मन्दिर  
जयपुर-302004


  
सचिव  
प्र. स. आदर्श विद्या मन्दिर  
आदर्श नगर, जयपुर

  
प्रधानाध्यापक  
उच्च प्रारम्भिक आदर्श विद्या मन्दिर  
जयपुर-302004

  
सचिव  
प्रबन्ध समिति आदर्श विद्या मन्दिर  
आदर्श नगर, जयपुर

  
प्राध्यापक  
रा. बा. उ. मा. वि.  
वाटिका, जयपुर

  
सचिव  
प्रबन्ध समिति आदर्श विद्या मन्दिर  
आदर्श नगर, जयपुर





विद्यालय, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का अद्यतन संस्करण) के अन्तर्गत सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम सं. 28) के अन्तर्गत किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जाता है।

12. विद्यालय, किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जाता है।
13. किसी चार्टर्ड एकाउण्टेंट द्वारा लेखों की संपरीक्षा और उन्हें प्रमाणित किया जायेगा और नियमों के अनुसार समुचित लेखा विवरण तैयार किया जायेगा। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति, जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को प्रतिवर्ष भेजी जाएगी।
14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या जे.पी.आर.ए.डी.आर.डी. 0255/दि० है। कृपया इसे नोट किया जाये और इस कार्यालय के साथ पत्र व्यवहार के लिए इसे उत्कृष्ट किया जाये।
15. विद्यालय, ऐसी रिपोर्ट और सूचना देगा जिनकी निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा/जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर अपेक्षा की जाये और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो मान्यता की शर्तों को लगातार पूरा करने या विद्यालय कार्यकरण में त्रुटियों का हटाया जाना सुनिश्चित करने के लिए उनके द्वारा जारी किये जाएं।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण, यदि कोई हो, सुनिश्चित करें।
17. अन्य शर्तें संलग्न परिशिष्ट के अनुसार हैं।
18. निरीक्षण दल रिपोर्ट:-


- संस्था आर.टी.ई के सभी मापदण्ड पूर्ण करती है अतः संस्था को आर.टी.ई मान्यता प्रदान करने की अभिशंका की जाती है।
- संस्था आर.टी.ई के तहत भौतिक संसाधन को पूर्ण नहीं करती है अतः संस्था को मार्च 2013 तक भौतिक संसाधन जुटाने की शर्त पर आर.टी.ई मान्यता प्रदान करने की अभिशंका की जाती है।
- संस्था में आर.टी.ई मापदण्डानुसार प्रशिक्षित शिक्षक नहीं है अतः संस्था को मार्च 2015 तक प्रशिक्षित शिक्षकों की पूर्ति की शर्त पर आर.टी.ई मान्यता प्रदान करने की अभिशंका की जाती है।

अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी  
प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर


  
जिला शिक्षा अधिकारी  
प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर


  
प्रधानाध्यापक  
एच. प्रार्थमिक आदर्श विद्या मन्दिर  
जयपुर-302004

प्रबन्ध समिति  
आदर्श

  
प्रधानाध्यापक  
एच. प्रार्थमिक आदर्श विद्या मन्दिर  
जयपुर-302004

  
सचिव  
प्र. स. आदर्श विद्या मन्दिर  
आदर्श नगर, जयपुर

  
सचिव  
प्रबन्ध समिति, आदर्श विद्या मन्दिर  
आदर्श नगर, जयपुर

  
27/10/2020  
आचार्य

  
प्रधानाध्यापक

सुमन